

राजस्व आवेदन संख्या 331/2019 अनवान वीराराम बनाम रेखाराम

आदेश

07/05/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा आदर्श सनावड़ा पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 887/668 रकबा 05.01 बीघा, खसरा संख्या 921/506 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 923/509 रकबा 07.01 बीघा, खसरा संख्या 928/510 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 931/668 रकबा 02.07 बीघा व खसरा संख्या 940/668 रकबा 02.15 बीघा कुल रकबा 59.05 बीघा भूमि तथा मौजा मेगवालों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1109/819 रकबा 09.15 बीघा व खसरा संख्या 1112/810 रकबा 04.10 बीघा कुल रकबा 14.05 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा आदर्श सनावड़ा पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 887/668 रकबा 05.01 बीघा, खसरा संख्या 921/506 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 923/509 रकबा 07.01 बीघा, खसरा संख्या 928/510 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 931/668 रकबा 02.07 बीघा व खसरा संख्या 940/668 रकबा 02.15 बीघा कुल रकबा 59.05 बीघा भूमि तथा मौजा मेगवालों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1109/819 रकबा 09.15 बीघा व खसरा संख्या 1112/810 रकबा 04.10 बीघा कुल रकबा 14.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को




राजस्व अधिकारी
बाडमेर

ख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 331/2019 अनवान वीराराम बनाम रेखाराम
जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्र कर
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की
जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस
आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना
रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल-सुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप सप्ट अधिकारी
बाडमेर